

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 22/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. (अ).- जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “आइसोप्रोपाइल एल्कोहल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 12 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/09/2023-डीजीटीआर, दिनांक 14 अगस्त, 2024, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि -

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत वास्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि

नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2905 12 20	आइसोप्रो पाइल एल्कोहल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	82	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	कोई भी निर्माता	217	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी निर्माता	217	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/159/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव